जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना "**मैसर्स माँ नागनेची माइंस एवं मिनरल्स**, एमएल नंबर– 07/2023, प्रस्तावित क्षेत्र– 1.20 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– 1,22,052 टीपीए (रोम) {ब्रिकी योग्य– 73,231 टीपीए और अपशिष्ट– 48,821 टीपीए} निकट गांव– सूरजगढ़, तहसील– रियांबड़ी, जिला– नागौर (राजस्थान) जो कि ग्रेनाइट (माइनर मिनरल) खनन क्लस्टर {एमएल नंबर– 07/2023, 09/2019, 04/2021, 124/2019, 01/2020, 15/2020, 125/2019, 134/2019, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 23/2020, 17/2020, 02/2022, 13/2020, 23/2022, 04/2022, 08/2023, 05/2021, 01/2021, 29/2022, 24/2020, 06/2022, 19/2021, 13/2022, 12/2022, 18/2021, 30/2022, 05/2022, 34/2022, 32/2022, 31/2022, 37/2022, 35/2022, 33/2022, 36/2022, 38/2022, 39/2022, 40/2022, 03/2022}, कुल क्लस्टर क्षेत्र– 58.87 हेक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता– 76,15,346 टीपीए में स्थित है", में **ग्रेनाइट (माइनर मिनरल) खनन** की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर नागौर के प्रतिनिधि श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर की अध्यक्षता में एवं श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर की उपस्थिति में **राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरजगढ़ , तहसील–रियांबड़ी, जिला नागौर (राजस्थान)** में **दिनांक 30.05.2025** को **दोपहर 04:00 बजे** आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति समाचार पत्र "**द इंडियन एक्सप्रेस**" एवं "**दैनिक नवज्योति**" में दिनांक **24/04/2025** को प्रकाशित करवाई गई थी, जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर सलंग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने सभी आगुन्तकों का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेंगे। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स माँ नागनेची माइंस एवं मिनरल्स** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **मैसर्स वाईब्रेंट टेक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड** को आंमत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **मैसर्स वाईब्रेंट टेक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना निकट गांव– सूरजगढ़, तहसील– रियांबड़ी, जिला– नागौर (राजस्थान) में खनिज– **ग्रेनाइट (माइनर मिनरल) खनन** हेतु प्रस्तावित है, जिसका एमएल नंबर– 07/2023, प्रस्तावित क्षेत्र– 1.20 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– 1,22,052 टीपीए (रोम) {ब्रिकी योग्य– 73,231 टीपीए और अपशिष्ट– 48,821 टीपीए} निकट गांव– सूरजगढ़, तहसील– रियांबड़ी, जिला– नागौर (राजस्थान) जो कि ग्रेनाइट (माइनर मिनरल) खनन क्लस्टर {एमएल नंबर– 07/2023, 09/2019, 04/2021, 124/2019, 01/2020, 15/2020, 125/2019, 134/2019, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 23/2020, 17/2020, 02/2022, 13/2020, 23/2022, 04/2022, 08/2023, 05/2021, 01/2021, 29/2022, 24/2020, 06/2022, 19/2021, 13/2022, 12/2022, 18/2021, 30/2022, 05/2022, 34/2022, 32/2022, 31/2022, 37/2022, 35/2022, 33/2022, 36/2022, 38/2022, 39/2022, 40/2022, 03/2022}, कुल क्लस्टर क्षेत्र– 58.87 हेक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता– 76,15,346 टीपीए में स्थित है, में **ग्रेनाइट (माइनर मिनरल) खनन** परियोजना होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा,

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

19/6/24

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारें में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रमें एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर)के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आंमत्रित किया।

सर्वप्रथम श्री ब्रह्मदेव शर्मा निवासी आलनियावास ने कहा कि जैसा कि अभी बताया गया कि इतने पौधे लगाए गए हैं लेकिन हकीकत इससे से दूर है, पूर्व में जो माईन्स संचालित है, उन्होंनें कहीं पौधारोपण नहीं किया। दुर्भाग्यपूर्ण किसी दूसरे गांवों के सरपंच से लेटरपेड पर लिखवा लेते है और अपनी खानापूर्ति कर लेते है। इन लोगों को बाउण्ड किया जाये कि जहां खनन करें, जहां प्रदूषण खराब होता है, वहां पौधारोपण करें। पूर्व मे भी इस स्कूल में जनसुनवाई हुई तब काफी लोगों ने स्कूल में एक, डेढ लाख रूपये, फर्निचर व अन्य के लिए कहा परन्तु आज तक पांच रूपये तक स्कूल में नहीं आये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि जो माईन्स जिस ग्राम पंचायत में खनन करती है, जो क्षेत्र प्रभावित होता है, वहीं पर वृक्षारोपण करें, पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड इसको सूनिश्चित करें। इसके अलावा इस क्षेत्र में पूर्व में कोई माइन्स चल रही है, एवं उन्होंनें अपने लेटरपेड पर स्कूल के लिए कमिटमेंट किया है, तो उसको भी सुनिश्चित करावें कि वो कार्य क्यों नहीं हुआ है? एवं अब इस पर विकास कार्य करें। अतः आरओ साहब ये आपकी जिम्मेदारी है इस इन प्रावधानों को क्षेत्र में लागू करवावें। प्रदूषण विभाग, माईनिंग विभाग एवं फोरेस्ट डिपार्टमेंट की भी ये जिम्मेदारी है एवं सरपंच द्वारा माईनिंग ऑनर को जो लेटरपेड पर लिखित देते है, वह कॉपी प्रदूषण विभाग, माईनिंग विभाग एवं फोरेस्ट डिपार्टमेंट, एसडीएम साहब, कलेक्ट्रेट को भी दी जाये, जिससे ये माईन्स ऑनर से पूछ सकते है, कि ये सरपंच साहब ने दिया है एवं इस पर क्या कार्यवाही की गई।

श्री भैरूराम मेघवाल निवासी गोविन्दगढ़ द्वारा कही गई बात को **एडीएम साहब** ने रखते हुवे कहा कि पहले हमारे स्कूल के लिए जो कमिटमेंट हुआ वो नहीं हो

19/6/14 (चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

पाया। अतः आरओ साहब आप ध्यान देवें कि इस स्थान पर पहले किस माइंस की जनसुनवाई हुई थी, आप उनसे पूछें कि कमिटमेंट पूरा क्यों नहीं हो पाया और अब तो कर लें।

श्री उम्मेद बेनिवाल निवासी सूरजगढ़ ने कहा कि यहां पहले भी माइंस वालो ने लोकल युवा, मजदूर लगाने का कमिटमेंट किया, यहां पांच माईन्सें चल रही है, लेकिन एक भी मजदूर यहा का लोकल नहीं है, सब बाहर के मजदूर हैं। अगर कोई मजदूर मजदूरी करने जाए तो उनसे हार्डवर्क करवाकर निकाल देते हैं। इसलिए माइंस वालों से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे सूरजगढ़ के जितने भी मजदूर है उनको लगाये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएं और इसको नोट करें। गांव में बहुत सारे पढ़े–लिखे, आईटीआई हॉल्डर है, काफी लोगों के पास संसाधन है, तो उन्हें प्राथमिकता देवें।

श्री सुशील जाखड़ ने कहा कि डंपर चलने से ग्रेवल सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है उन्हें तुरन्त ठीक करावें।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि सरपंच साहब और वार्डपंच साहब से अनुरोध है कि आप लेटरपैड पर उस कंपनी को लिख कर देवें और इस एरिया पर जो पूरा कलस्टर है वो कम–से–कम 8–10 माईन्सेस होगी, और आप लोग यह करो कि पर्यावरण विभाग से भी बात कर लो और कोशिश यह करो कि मान लो 10 है तो किसी को 100 मीटर टुकड़ा दिया तो किसी को 200 मीटर टुकड़ा दिया, ऐसे ग्रेवल सड़क पूरी रिपेयर की जा सकती है। और जब भी आप चिठ्ठी लिखो तो क्षेत्रीय अधिकारी महोदय को भी लिखो ताकि यहां जो भी कमिटमेंट किए गए है वो अगर नहीं निभाऐंगे तो क्षेत्रीय अधिकारी साहब सरकार को ये सब लिख कर दे सकते है कि ये जितने भी वादे है वो नही निभाए गए जिससे सरकार इस पर्यावरणीय स्वीकृति पर नोटिस दे सके और फिर भी पालना नहीं किये जाने पर सरकार इस स्वीकृति को रद्द कर सकती है। प्रयास करेंगे कि आपकी मांगों को उचित माध्यम तक पहंचाये एवं उचित कार्यवाही हो। यहां एक बहन भी बैठी है, इस परियोजना प्रस्ताव में लिखा हुआ है, कि अगर महिलाऐं कोई छोटा–मोटा रोजगार करना चाहती है तो उनको सहयोग दिया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने कहा कि अगर कभी भी किसी माईन्स से सम्बन्धित कोई शिकायत हो तो वो प्रदूषण विभाग को लिखित में दे सकते है, उसके खिलाफ

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

7/6/
(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। साथ ही **क्षेत्रीय अधिकारी महोदय** ने परियोजना प्रस्तावक से कहा कि वह जन समुह द्वारा जो भी शिकायत/सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत किये गये है उन पर अपने कमिटमेंट देवें।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि यहां पर स्थानीय लोगों ने रोजगार की बात रखी गई है, तो आप स्थानीय लोगों व संसाधन को रोजगार किस प्रकार दे पाऐंगे या फिर नहीं दे पाऐंगे? दूसरी बात डंपर से ग्रेवल एवं मुख्य सड़के क्षतिग्रस्त होती है, चुंकि आपने सड़क मरम्मत हेतु प्रावधान रखा है, तो वो आप कैसे क्रियान्वन करेंगे? और तीसरी बात ये कि स्कूल और पर्यावरण के विकास के लिए भी आपने वादे किए थे, उन्हें आप किस प्रकार निभाऐंगे? यह सब आप ग्रामीणों को बताईए? जिसके प्रत्युत्तर में **श्री भानुप्रताप सिंह राठौड़** ने कहा कि रोजगार देने की बात है तो में इस गांव के मजदूरो को मेरी माइनिंग लीज में जैसे– ड्राइवर, मजदूर इत्यादि आप ही के गांव से लूंगा। और रही बात स्कूल की व्यवस्था और सड़क तो मैं उन पर भी पूरा–पूरा ध्यान दूंगा।

श्री मोतीदास निवासी सूरजगढ़ ने कहा कि उस क्षेत्र में नाड़ी की खुदाई कर उसको गहरा कर उसका विकास करना चाहिए।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा कि मोतीदास के सुझाव है कि माईन्स के पास क्षेत्र में नाड़ी खुदाई जाये, तो यह कार्य हम नरेगा के माध्यम से भी कर सकते है, एवं अभी 5 जून से 20 जून तक जल संरक्षण पखवाड़ा चलेगा, तो हम इसके तहत भी माईन्स हॉल्डर्स एवं भामाशाह से सहयोग ले सकते है, जैसे– डम्पर, जेसीबी है। थोड़ा सा हमें प्रयास करना पड़ेगा। जितने भी यहां माईन्स हॉल्डर है, जब भी नाड़ी का काम चालू हो, आप सहयोग करें। एवं इस जन सुनवाई में एक और बात सामने आई है कि पूर्व में यहां किसी माईन्स के लिए जन सुनवाई हुई थी, और उन्होंने स्कूल विकास के प्रावधान के तहत कुछ वादें किये थे, परन्तु वो आज तक पूरे नहीं हुवे, तो आपसे आपेक्षा है कि आप अपने सभी वादें जरूर पूरा करें।

श्री बुद्धाराम निवासी सूरजगढ़ ने कहा कि 3 साल पूर्व भी माईनिंग वाले वादें करके गये कोई वापस नहीं आया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने कहा जो भी वादे माईनिंग लीज हॉल्डर करता है, वो अपने वादे निभाये। तो अपेक्षा है पर्यावरण विभाग एवं माईनिंग लीज हॉल्डर से कि पब्लिक की जो भी मांगे हैं इन मांगों के मुताबिक जो प्रावधान है उन

19/6/24
(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रावधानों के अनुसार ये वादे पूरे करें। तथा गांव के आसपास पर्यावरण सुरक्षित रहे, एवं गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बुनियादी चीजों की कमी आये।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन–मानस से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया। अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आपेक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के माध्यम से लिखित में कोई भी आक्षेप इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राज.)

श्री राजकुमार मीणा,
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., नागौर

श्री चम्पालाल जीनगर,
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर

(चम्पालाल जीनगर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर

उपस्थिति पंजिका

ग्रेनाइट (माइनर मिनरल) खनन क्लस्टर परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

ग्रेनाइट (माइनर मिनरल) खनन क्लस्टर परियोजना, आवेदक **मैसर्स माँ नागनेची माइंस एवं मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड**, एमएल नंबर– 07/2023, प्रस्तावित क्षेत्र– 1.20 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– 1,22,052 टीपीए (रोम) {ब्रिकी योग्य– 73,231 टीपीए और अपशिष्ट– 48,821 टीपीए} निकट गांव– सूरजगढ़, तहसील–रियांबड़ी, जिला– नागौर (राजस्थान) जो कि ग्रेनाइट (माइनर मिनरल) खनन क्लस्टर {एमएल नंबर– 07/2023, 09/2019, 04/2021, 124/2019, 01/2020, 15/2020, 125/2019, 134/2019, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 23/2020, 17/2020, 02/2022, 13/2020, 23/2022, 04/2022, 08/2023, 05/2021, 01/2021, 29/2022, 24/2020, 06/2022, 19/2021, 13/2022, 12/2022, 18/2021, 30/2022, 05/2022, 34/2022, 32/2022, 31/2022, 37/2022, 35/2022, 33/2022, 36/2022, 38/2022, 39/2022, 40/2022, 03/2022}, कुल क्लस्टर क्षेत्र– 58.87 हेक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता– 76,15,346 टीपीए में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरजगढ़ , तहसील–रियांबड़ी, जिला नागौर

दिनाँकः **30.05.2025,** समयः **दोपहर 04:00 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	छगनलाल बेनीवाल	Adm Nagaur	[signature]
2.	Rajkumar Meena	R.O. RSPCB, Nagaur	[signature]
3.	भींवराज परिहार	TDR, RiyaBadi	[signature]
4.	Hemant Kumar	JEE, RSPCB RO Nagaur	[signature]
5.	ब्रह्मदेव शर्मा	आलनियावास	[signature]
6.	उमेदराम [illegible]	सूरजगढ़	[signature]
7.	इकबाल मी	सूरजगढ़	[signature]
8.	Mahaboob Ali	HM Surajgarh	[signature]
9.	विक्रम	सूरजगढ़	विक्रम
10.	ओमाराम	सूरजगढ़	ओमाराम
11.	[illegible]	सूरजगढ़	[signature]
12.	Sushil Chawla	"	[signature]
13.	Sushil Jat	"	[signature]
14.	[illegible]	"	[signature]
15.	[illegible]	"	[signature]
16.	रामाराम	"	रामाराम
17.	श्रवण	"	श्रवण

उपस्थिति पंजिका

ग्रेनाइट (माइनर मिनरल) खनन क्लस्टर परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

ग्रेनाइट (माइनर मिनरल) खनन क्लस्टर परियोजना, आवेदक **मैसर्स माँ नागनेची माइंस एवं मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड**, एमएल नंबर– 07 / 2023, प्रस्तावित क्षेत्र– 1.20 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– 1,22,052 टीपीए (रोम) {ब्रिकी य़ोग्य– 73,231 टीपीए और अपशिष्ट– 48,821 टीपीए} निकट गांव– सूरजगढ़, तहसील–रियांबड़ी, जिला– नागौर (राजस्थान) जो कि ग्रेनाइट (माइनर मिनरल) खनन क्लस्टर {एमएल नंबर– 07 / 2023, 09 / 2019, 04 / 2021, 124 / 2019, 01 / 2020, 15 / 2020, 125 / 2019, 134 / 2019, 18 / 2020, 19 / 2020, 20 / 2020, 21 / 2020, 23 / 2020, 17 / 2020, 02 / 2022, 13 / 2020, 23 / 2022, 04 / 2022, 08 / 2023, 05 / 2021, 01 / 2021, 29 / 2022, 24 / 2020, 06 / 2022, 19 / 2021, 13 / 2022, 12 / 2022, 18 / 2021, 30 / 2022, 05 / 2022, 34 / 2022, 32 / 2022, 31 / 2022, 37 / 2022, 35 / 2022, 33 / 2022, 36 / 2022, 38 / 2022, 39 / 2022, 40 / 2022, 03 / 2022}, कुल क्लस्टर क्षेत्र– 58.87 हेक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता– 76,15,346 टीपीए में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरजगढ़ , तहसील–रियांबड़ी, जिला नागौर

दिनाँकः **30.05.2025,** समयः **दोपहर 04:00 बजे**

18.	Rafik	सुरजगढ	[signature]
19.	भगीरथ	सूरजगढ	
20.	मोती खां	सूरजगढ़	Motl
21.	मुसाहिद	"	मुसाहिद
22.	भेमारथा	"	[signature]
23.	सत्तार मोहम्मद	सूरजगढ	[signature]
24.	सुरेन्द्र	सूरजगढ	[signature]
25.	दिनेश मेहरा	सूरजगढ़	[signature]
26.	मेघाराम	सूरजगढ़	मेघाराम
27.	USMAN	"	USMAN
28.	गुलाम	"	गुलाम
29.	मंगराराम	"	मंगराराम
30.	[signature]	"	[signature]
31.	Ranveer Bhakar	J.A. Collectorate	[signature]
32.	Bhanu Pratap	Jaipur	[signature]
33	Rajkumar Yadav	Jaipur Vibrant	[signature]
34	Jitendra yadav	Jaipur Vibrant	[signature]

उपस्थिति पंजिका

ग्रेनाइट (माइनर मिनरल) खनन क्लस्टर परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

ग्रेनाइट (माइनर मिनरल) खनन क्लस्टर परियोजना, आवेदक **मैसर्स माँ नागनेची माइंस एवं मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड**, एमएल नंबर– 07/2023, प्रस्तावित क्षेत्र– 1.20 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ– 1,22,052 टीपीए (रोम) {ब्रिकी योग्य– 73,231 टीपीए और अपशिष्ट– 48,821 टीपीए} निकट गांव– सूरजगढ़, तहसील– रियांबड़ी, जिला– नागौर (राजस्थान) जो कि ग्रेनाइट (माइनर मिनरल) खनन क्लस्टर {एमएल नंबर– 07/2023, 09/2019, 04/2021, 124/2019, 01/2020, 15/2020, 125/2019, 134/2019, 18/2020, 19/2020, 20/2020, 21/2020, 23/2020, 17/2020, 02/2022, 13/2020, 23/2022, 04/2022, 08/2023, 05/2021, 01/2021, 29/2022, 24/2020, 06/2022, 19/2021, 13/2022, 12/2022, 18/2021, 30/2022, 05/2022, 34/2022, 32/2022, 31/2022, 37/2022, 35/2022, 33/2022, 36/2022, 38/2022, 39/2022, 40/2022, 03/2022}, कुल क्लस्टर क्षेत्र– 58.87 हेक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता– 76,15,346 टीपीए में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सूरजगढ़ , तहसील–रियांबड़ी, जिला नागौर

दिनाँकः **30.05.2025,** समयः **दोपहर 04:00 बजे**

सूपका में हाईटेंशन पोल पर चढ़े तीन किसान

मुआवजे की मांग, उपखंड अधिकारी और डिप्टी पहुंचे मौके पर, सहमति बनने पर मामला हुआ शांत

न्यूज सर्विस/नवज्योति, डीडवाना

डीडवाना जिले के गांव सूपका में मुआवजा की मांग को लेकर तीन किसान सुबह हाईटेंशन लाइन पर चढ़ गए। ज्ञात रहे किसानों द्वारा काफी समय से मुआवजा की मांग की जा रही थी लेकिन मुआवजा नहीं मिल रहा था, जिससे गुस्साए किसान हाईटेंशन लाइन पर चढ़ गए।

मुआवजे की मांग को लेकर हाई टेंशन लाइन में देवाराम पुत्र नंदाराम, जिया गौरी पुत्र रफीक गौरी, युनुस खान पुत्र इस्हाक मोहम्मद हाई टेंशन लाइन पर चढ़ गए। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और किसानों से समझाइश करके नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए गए। इधर, सूचना पर तहसीलदार सुमेरसिंह, नायब तहसीलदार ओमप्रकाश डीडवाना थाने के एसआई अयूब खान पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया लेकिन किसान अपने मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। किसान करीब चार घण्टे से अधिक समय तक हाईटेंशन लाइन पर चढ़े रहे।

किसान सभा का प्रतिनिधि मंडल भागीरथ नेतड़, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जगदीश मोटन, भागुराम निवाद, सूपका सरपंच ओमप्रकाश खाल्डीया के नेतृत्व में सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच गए। इसके बाद उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, डिप्टी धरम पूनिया सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे और हाई टेंशन लाइन पर चढ़े किसानों को उतारने के प्रयास किए। कंपनी के प्रतिनिधियों को भी मौके पर बुलाकर प्रशासनिक अधिकारियों ने वार्ता की। कुछ ही देर में एक प्रतिनिधिमंडल से प्रशासन की वार्ता हुई और मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद हाई टेंशन लाइन पर चढ़े किसान नीचे उतरे।

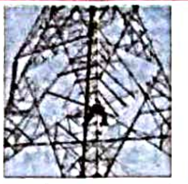

डीडवाना। सूपका में हाईटेंशन पोल पर चढ़े किसान तथा प्रशासन से वार्ता करता प्रतिनिधिमंडल। कृष्ण मुरारी सर्राफ

प्रशासन से वार्ता में 67 मीटर के कॉरिडोर में आने वाली किसानों की परिसम्पत्तियों का मौके पर ही मूल्यांकन सम्बंधित अधिकारियों से कराकर किसानों के मुआवजे का समझौता हुआ।

इससे पहले उपखंड अधिकारी ने मौके पर पहुंचते ही अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा जब किसान को मुआवजा देना है तो दिया क्यों नहीं जा रहा है। किसान को उसका मुआवजा देना चाहिए।

शहीद स्मारक पर तोड़फोड़ मामले में एक गिरफ्तार

मौलासर। थाना क्षेत्र के ग्राम धनकोली में शहीद कमांडेंट जीवणराम कम्वां के स्मारक पर तोड़फोड़ व दान पेटी से रुपए चुराने के मामले में पुलिस ने बुधवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हेड कांस्टेबल छोटूराम बिश्नोई ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी पुलिस थाना मौलासर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने थाना हल्का क्षेत्र व लोसल, थोद, सीकर में करीबन 100-150 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अपराधी की पहचान करने के बाद आरोपी बड़ी बेरी निवासी गोपालराम पुत्र मोहनराम जाट को गिरफ्तार किया गया। आरोपी गोपालराम के विरूद्ध पूर्व में कई आपराधिक मामले दर्ज है।

नगर समाचार

कस्टोडियन भूमि मामले को लेकर सौंपा ज्ञापन

डीडवाना। कस्टोडियन भूमियों के मामले को लेकर सैकड़ों ग्रामीण जिला कलक्टर कार्यालय पहुंचे एवं मांगों को लेकर ज्ञापन जिला कलक्टर को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि 1947 में भारत पाकिस्तान के मध्य विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार पाकिस्तान चले गए। उनके इस पलायन के परिणाम स्वरूप शहर सहित उपखण्ड के लगभग 19 ग्रामों में उनकी निजी आवासीय कृषि योग्य भूमि भारत में ही शेष रह गई। भारत सरकार ने इस प्रकार की सम्पत्तियों को निष्क्रान्त सम्पत्ति कस्टोडियन सम्पत्ति के रूप में परिभाषित कर इनका नियंत्रण भारत सरकार के कस्टोडियन विभाग को सौंप दिया। इन संपत्तियों को कानूनी रूप से संरक्षित करने एवं उचित आवंटन करने हेतु समय समय पर अधिनियम भी बनाए। राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटन नियम के अधीन आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित करने हेतु घोषणा जारी कर उपखण्ड अधिकारी के अध्यक्षता में गठित आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कस्टोडियन भूमि का निस्तारण किया जाता है। ऐसे समस्त प्रकरण कृषि भूमि के आवंटी या खातेदारों की खातेदारी अधिकार पास नहीं हुए। शहरी क्षेत्र एवं संबंधित ग्रामीण अंचलों में सैकड़ों की संख्या में ऐसी निष्क्रान्त भूमि अब भी बिना किसी वैधानिक आवंटन के उपयोग में ली जा रही है। अधिकांश मामलों में यह भूमि उन व्यक्तियों परिवारों द्वारा दशकों से उपयोग की जा रही है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पंचायतों एवं नगरीय निकायों की भागीदारी से संचालित किया जाए ताकि किसी प्रकार की विसंगति न उत्पन्न हो।

परिषद के सामने से भी नहीं उठता कचरा

डीडवाना। शहर की सफाई व्यवस्था के मामले में नगर परिषद की हालत चिराग तले अंधेरा जैसी हो रही है। परिषद के सामने ही जिला परिषद कार्यालय के पास गली में सब्जी के ठेले लगते हैं जिससे कचरे का ढेर लगा रहता है और निराश्रित पशु मुंह मारते रहते हैं। कचरा उठाने की बजाय कई बार सुबह 6 बजे के आसपास कचरे के ढेर में आग भी लगा दी जाती है। परिषद के पास विद्युत पोल भी लगे हुए तथा कई ठेले वहां पर रखे हुए हैं। कभी भी आग के कारण आमजन का भारी नुकसान हो सकता है।

प्याज फसल पर प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन

मौलासर। कृषि विज्ञान केंद्र मौलासर द्वारा कृषकों के खेत पर प्रदर्शन अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन में प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन ग्राम बेड़वा में सागरमल भाकर के कृषि फार्म पर किया गया। केंद्र की उद्यान वैज्ञानिक डॉ. अ... कुमारी ने बताया कि प्रथम पंक्ति प्रदर्शनों का आयोजन किसानों के खेत पर केंद्र के वैज्ञानिकों की देखरेख में किया जाता है। इसी के तहत प्याज की किस्म एनएचआरडीएफ-रेड-4 किसानों के खेत पर लगाई गई थी। इस किस्म के प्याज गहरे लाल रंग के होते हैं और इसमें 5.5-6.25 सेमी का व्यास होता है। 350-400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त होती है। प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. लिखमाराम ने बताया कि ऐसे आयोजन से किसान नवीन तकनीकियों के बारे में जानकारी मिलती है। कीट वैज्ञानिक डॉ. ममता देवी चौधरी ने प्याज फसल में जैविक तरीकों से कीट व बीमारियों की रोकथाम व बूंद-बूंद सिंचाई व पलवार का उपयोग करने की सलाह दी। कार्यक्रम में 45 से अधिक किसानों ने भाग लिया।

आग से मेड़ जली, दमकल ने पाया काबू

मारोठ। श्मशान घाट से मालियों की ढाणी जाने वाले रास्ते पर बुधवार दोपहर माणकचंद पारस चंद विनायक्या के खेत की मेड़ पर आग लग गई। ग्रामीणों ने बताया कि मारोठ से श्यामगढ़ जाने वाली एल टी लाइन के टकराने से लगी आग को पुलिस की सूचना पर दमकल ने समय पर काबू पाया। आग से करीब 250 मी लंबी बाड़ जल कर राख हो गई।

पानी के अवैध टैंकरों पर प्रतिबंध लगाने की मांग

रेण। कस्बे में भीषण गर्मी को देखते हुए तीनों तालाबों से अवैध रूप से बिक्री कर रहे पानी के टैंकरों की रोकथाम को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत प्रशासन से मांग की है। ग्राम पंचायत के वार्ड पंच पुनाराम बावरी, रामकिशोर लखारा, समाजसेवी नेम सिंह राजपुरोहित, गोपाल सेन, वार्ड पंच प्रतिनिधि भुराखां आदि ने ग्राम पंचायत से मांग की है कि कस्बे के तीनों तालाब लाखा सागर, रामसागर, चदलाई नाडी में से अवैध रूप से बिक्री कर रहे हैं पानी के टैंकरों पर प्रतिबंध लगाया जाए। वहीं कस्बे के टैंकरों पर समय सीमा तय करने की मांग की गई है।

पैर फिसलने से नमक झील में गिरे मजदूर

पहले गिरे एक मजदूर को बचाने में बाकी दो मजदूर भी कूदे कुए में, एक रेफर

डीडवाना। डीडवाना की नमक झील में स्थित पानी के कुएं में पैर फिसलने से तीन मजदूर कुएं में जा गिरे। हालांकि कुआं अधिक गहरा नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया लेकिन कुएं में जहरीली गैस होने से दो मजदूर कुएं में ही बेहोश हो गए। वहीं तीसरा मजदूर भी अचेत हो गया। हादसे के तुरंत बाद साथी मजदूरों ने तीनों को बाहर निकाल कर डीडवाना के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया जहां से एक मजदूर की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जयपुर रैफर कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार डीडवाना में स्थित नमक झील में नमक बनाने के लिए कई कुए बने हुए हैं जहां से पानी खींचा जाता है। सुबह शाकिर हुसैन नामक मजदूर कुएं के पास सफाई कर रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरा। इस पर पास ही काम कर रहे उसके भाई रियाज खान ने भी शाकिर को बचाने के लिए कुए में छलांग लगा दी, लेकिन कुए में मौजूद गैस के कारण दोनों ही भाई कुएं में बेहोश हो गए। इस पर वहां मौजूद उनके भतीजे शाहिद ने आस-पास के लोगों को इकट्ठा किया और खुद भी दोनों मजदूरों को बाहर निकालने के लिए कुएं में उतरा, लेकिन गैस के कारण वह भी अचेत हो गया। इसके बाद मुश्किल से अन्य मजदूरों ने अपने साथी तीनों मजदूरों को बाहर निकाल कर बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया जहां शाकिर की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जयपुर रैफर कर दिया गया। जबकि रियाज व शाहिद को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

डीडवाना। बांगड़ चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती मजदूर। कृष्णमुरारी सर्राफ

जिले में हीटवेव का हो पुख्ता प्रबंधन

न्यूज सर्विस/नवज्योति, डीडवाना

जिला कलक्टर पुखराज सेन ने सभी जिलेवासियों को लू और तापघात के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि ग्रीष्मलहर से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों में सामान्यतः पानी की कमी, गर्मी से होने वाली ऐंठन तथा थकावट और लू लगना आदि शामिल हैं। अतिरिक्त जिला कलक्टर महेंद्र मीणा ने बताया कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें। गंभीर स्थिति में नागरिक जिला नियंत्रण कक्ष पर संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन द्वारा गर्मी, ताप-घात में क्या करें और क्या न करें की एडवाइजरी भी जारी की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉ. नरेंद्र चौधरी ने बताया कि लू लगने पर ओआरएस घोल पीयें और शिशु को ओ आर एस घोल निर्धारित अंतराल में पिलाते रहें। दस्त रोकथाम के लिए जिंक दवा एवं ओ. आर. एस. पैकेट सभी राजकीय स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। इसके लिए सभी चिकित्सा संस्थानों पर बेड आरक्षित किए गए हैं। सीएमएचओ ने बताया कि लू-तापघात रोग के लक्षण सिरदर्द, बुखार, उल्टी, अत्यधिक पसीना एवं बेहोशी आना, कमजोरी महसूस होना, शरीर में ऐंठन, नब्ज असामान्य होना है। घर से बाहर निकलने के पहले पानी अवश्य पिएं, सूती ढीले एवं आरामदायक कपड़े पहने, धूप में निकलते समय सिर पर टोपी, कपड़ा या छाते का उपयोग करें।

लेखाधिकारी गैना ने किया पदभार ग्रहण

भैरूंदा। ग्राम भैरूंदा के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लेखाधिकारी धर्मेश गैना ने स्टाफ की मौजूदगी में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान भाजपा नेता चेनाराम भींचर, पीईओ राजेंद्र सिंह चौधरी, आरपी इंद्रा रिणवा, साक्षरता समन्वयक हरिकिशन मातवा, आकाश, पूनाराम, सुनील जांगिड़ सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा।

एरिया डोमिनेशन अभियानः 40 टीमों ने 170 जगहों पर दी दबिशे, कई धरे

डीडवाना। जिला डीडवाना-कुचामन पुलिस द्वारा एरिया डोमिनेशन के तहत विशेष अभियान चलाया गया है। जिसमे अलग-अलग पुलिस थानों के 200 से अधिक पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की 40 टीमों द्वारा वांछित अपराधियों, स्थाई वारंटियों एवं असामाजिक तत्वों की धरपकड़ हेतु 170 जगह दबिशें दी गई। अभियान के दौरान आबकारी अधिनियम, एमएमआरडी एक्ट व 13 आरपीजीओ एक्ट आदि के 14 प्रकरण दर्ज किए गए है। इसके अलावा 10 वांछित अपराधी, 28 स्थाई वारंटी, गिरफ्तारी वारंट, पीओ मफरूर का निस्तारण करवाया गया। अभियान के दौरान इसदादी कार्रवाई के अन्तर्गत 35 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद के निर्देशानुसार विशेष अभियान के दौरान जिला डीडवाना-कुचामन के सभी थानों से 200 पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों की 40 टीमों का गठन किया जाकर हल्का क्षेत्र के स्थाई वारंटियों, गिरफ्तारी वारंटियों, एच एस प्रकरणों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया गया। गठित टीमों द्वारा कुल 170 जगह दबिश दी गई। अभियान के दौरान पुलिस थाना डीडवाना, मौलासर, खुनखुना, जसवन्तगढ़, निंबी जोधा, परबतसर व पीलवा पर आबकारी अधिनियम के तहत 1-1 प्रकरण व पुलिस थाना मकराना पर 2 प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किये गये। पुलिस थाना लाडनूं पर 13 आरपीजीओ व आरएनसी एक्ट के तहत 1-1 प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस थाना चितावा पर 2 एमएमआरडी एक्ट व 1 आरएनसी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। अभियान के दौरान कुल 10 वांछित अपराधी, 28 गिरफ्तारी वारंटों का निस्तारण करवाया गया व 35 इसदादी कार्रवाई के अन्तर्गत गिरफ्तारी की गई है।

11 दिन से लापता युवक का नही लगा सुराग

न्यूज सर्विस/नवज्योति, डेगाना

डेगाना निवासी श्रवणलाल प्रजापत के पुत्र योगेश प्रजापत, जो घर से अपने काम जाने का बोलकर गत 11 अप्रैल को घर से निकला था। जिसका आज तक पुलिस द्वारा कोई सुराग नहीं लग पाने से समाज के लोगों के साथ परिजनों ने विधायक अजयसिंह किलक को ज्ञापन देकर पता लगाने में मदद करने की गुहार लगाई। श्रवणकुमार प्रजापत ने बताया कि योगेश डेगाना के मोटोमॉल में काम करता था, वह घर से काम पर जाने का बोलकर निकला, जिसके शाम को वापिस घर नहीं लौटने पर मोटोमॉल जाकर पता लगाने पर मालूम चला कि आज वह काम पर नहीं आया। जिसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई लेकिन आज तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। इस पर विधायक किलक ने फोन पर थानाधिकारी से बात कर लापता युवक का शीघ्र पता लगाने के निर्देश दिए।

नगरपालिका डेगाना की साधारण सभा की बैठक में विभिन्न मुद्दा पर चर्चा

जमीन लीज पर नही मिली तो सड़क खोदकर भी बनेगा नाला

डेगाना। चेयरमैन मदनलाल अटवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को नगरपालिका डेगाना की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि डेगाना विधायक अजयसिंह किलक रहे। अधिशासी अधिकारी जितेन्द्र खींचड़ ने बताया कि बैठक में नाला निर्माण करने वाली एजेन्सी की समयावधि पूरी होने जाने पर ठेकेदार की समय सीमा बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया तथा ठेकेदार को बुलाकर नाला निर्माण कराने का निर्णय लिया गया। पुराना नाला रेलवे सीमा में आ जाने के कारण पेच फंसा हुआ है। जिसके लिए विधायक किलक ने बताया कि इसे लेकर रेलवे अधिकारियों के साथ चर्चा की जा रही है। जिसमें रेलवे द्वारा जमीन को लीज देने का प्रस्ताव रखा है, उस पर भी विचार किया जा रहा है। रेलवे की दीवार के कारण मुख्य सड़क के सिकुड़ जाने से आए दिन यातायात जाम से होने वाली परेशानी को देखते हुए दीवार को कम से कम 10 फीट तक अंदर कराने का भी उच्च स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि रेल विभाग द्वारा जरूरी जमीन लीज पर नहीं दी जाती है तो भी चाहे सड़क खोदकर नाले का निर्माण कराना पड़े तो भी अब नाला निर्माण कराया जाएगा। इसको लेकर ठेकेदार कम्पनी को बरसात के मौसम से पूर्व नाले का निर्माण करने के निर्देश दिए। साधारण सभा की बैठक में पार्षद अंजू शेखावत ने ग्राम झगड़वास की सीमा में 37 एकड़ गोचर जमीन पर अतिक्रमण दस दिन में नहीं हटाए जाने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। इसी प्रकार पार्षद चौथीदेवी, रामलाल कुलरिया, कन्हैयालाल सोनी आदी ने शहर और लगौड़ में टूटी सड़कों को सुधारने, वार्डों में बिजली पानी की सप्लाई सुचारू कराने, चिल्ड्रन पार्क की दशा सुधारने सहित अनेकों समस्याओं के बारे में प्रस्ताव लेकर विकास कार्य कराने की मांग की। वहीं पिछले एक साल से लोगों को पट्टे नहीं दिए जाने पर भी पार्षदों ने नाराजगी प्रकट की। जिस पर विधायक ने सरकारी और गौचर, अंगोर की जमीनों का सीमांकन कर पालिका की जमीनों पर तारबंदी कराने के निर्देश दिए। बैठक में चेयरमैन मदनलाल अटवाल, उपाध्यक्ष हारून रसीद, नेता प्रतिपक्ष रामचंद्र डूडी, ईओ जितेन्द्र खींचड़ सहित पार्षद और पालिका के अधिकारी कार्मिकों ने भाग लिया। इससे पहले चेयरमैन अटवाल और ईओ खींचड़ ने विधायक किलक का साफा पहनाकर अभिनंदन किया।

CLASSIFIED

छोटा विज्ञापन बड़ा लाभ

प्रिय पाठकों एवं विज्ञापनदाताओं के लिए
दैनिक नवज्योति लेकर आया है
आकर्षक ऑफर

मात्र 150/-₹ प्रति विज्ञापन [अधिकतम 25 शब्द तक]

आवश्यकता	किराये हेतु	खरीदना	बेचना
शैक्षणिक	सीखिये	चिकित्सा	फाइनेंस
उपलब्ध	वर चाहिए	वधू चाहिए	ज्योतिष

विशेष स्कीम 3+1 तीन विज्ञापन बुक कराने पर चौथा विज्ञापन फ्री
450/- रु. (जीएसटी सहित) में चार विज्ञापन

नाम परिवर्तन एवं खोया पाया
अधिकतम 30 शब्द
मात्र 350/- रु. (जीएसटी सहित)

प्राइवेट स्कूल, कालेज, संस्थाओं के लिए
डिस्प्ले क्लासीफाइड बहुत ही वाजिब दामों में

साइज (वर्ग से.मी.)	दर (BW) - 5% जीएसटी अतिरिक्त
5×3	630/-
10×3	1260/-
5×6	1260/-
10×6	2520/-

3+1 फ्री

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें -
दैनिक नवज्योति 9251097010

साइबर ठगी के पांच मामलों में 1.3 लाख रुपए रिफंड

लाडनूं। डीडवाना-कुचामन पुलिस द्वारा साइबर ठगी के मामलों में प्रभावी कार्रवाई की जाकर पुलिस थाना लाडनूं में एक महिला के खाते से ठगी गई 50,000 रुपयों की राशि रिफण्ड करवाई गई। इसी प्रकार पुलिस थाना खुनखुना के अन्तर्गत 34 हजार 987 रुपयों की ठगी गई राशि रिफंड करवाई गई। पिछले पांच दिनों में कुल 102,987 रुपयों की ठगी गई राशि पुलिस ने रिफंड करवाई है। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद (आई पी एस) के निर्देशन में जिला पुलिस द्वारा साइबर पोर्टल/ 1930 हेल्प लाइन नंबर पर शिकायतों में ठगी गई कुल राशि 102987 रुपए (एक लाख दो हजार नौ सौ सत्तासी) की राशि पीड़ितों के खाते में रिफंड करवाई गई। जिला पुलिस के अनुसार थाना लाडनूं में गत वर्ष 30 दिसम्बर को कंचन माली निवासी दुजार के खाते से ठगी कर 50000 रुपए ठगों ने निकाल लिए थे। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक व साइबर सेल के सहयोग से होल्ड की गई राशि 50000/- रुपए (पचास हजार रुपए) का रिफंड हाल ही में 22 अप्रैल को दिलवाया गया। पुलिस थाना खुनखुना के तहत साइबर पोर्टल शिकायत संख्या 22709240037330 में प्रार्थी को 13900 रुपए की होल्ड राशि रिफंड करवाई गई और साइबर पोर्टल शिकायत संख्या 32709240045834 प्रार्थी को 210870 रुपए की होल्ड राशि रिफंड करवाई गई। इसी प्रकार पुलिस थाना पीलवा साइबर पोर्टल शिकायत संख्या- 32707240039296 प्रार्थी को 18000 रुपए की होल्ड राशि रिफंड करवाई गई।

मकान में आग से लाखों का नुकसान

कुचेरा। भाटीपुरा स्थित गिवारिया मोहल्ला में मकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। जानकारी के अनुसार घनश्याम गिवारिया का परिवार झाडू बनाता है। उसके टिन शेड के मकान में आग लगने से कमरे में रखे झाडू एवं पन्नी घास, पहनने के कपड़े, रजाई, प्लास्टिक के बर्तन आदि जल गए। आसपास के लोगों ने काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। नगरपालिका की दमकल पहुंची तब तक काफी हद तक आग बुझ चुकी थी। हल्का पटवारी व पुलिस ने मौका मुआयना किया।

चोरी के तीन आरोपी प्रॉडक्शन वारंट पर गिरफ्तार

मौलासर। थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने तीन आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर जेल से लाकर पूछताछ की जिसमें एक और चोरी की बाइक बरामद की गई। हैड कांस्टेबल शाहिद खान ने बताया कि प्रार्थी लाडड़िया निवासी पुसाराम जाट ने स्थानीय थाने में रिपोर्ट दी है कि उसकी बाइक 9 फरवरी को उसके घर के बाहर खड़ी थी, जिसे अज्ञात चोर चुराकर ले गए। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपी रणवीर (23) पुत्र लालाराम बावरी, रिछपाल (25) पुत्र लालाराम बावरी, निवासीगण दौलतपुरा, सीताराम (26) पुत्र जेठाराम बावरी निवासी इसाणा खुर्द को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपियों के कब्जे से ग्राम मोलड़ी से एक बाइक भी बरामद की है। गौरतलब है कि इन आरोपियों से पूर्व में भी ग्राम अलखपुरा व नुवा से चोरी की गई बाइक को अलग अलग स्थानों से बरामद की जा चुकी है।

सैनी आत्महत्या मामले में पीड़ित परिवार को मिले न्याय

परबतसर। जयपुर में गत दिनों ठेकेदार भरत सैनी आत्महत्या मामले को लेकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए मुकेश राव के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर माली समाज परबतसर द्वारा उपखंड अधिकारी रामकुमार टाडा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया कि भरत सैनी के पिता भानु प्रकाश सैनी को परेशान किया जा रहा है, भरत सैनी की पत्नी और बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। ज्ञापन सौंपते समय माली समाज अध्यक्ष सत्यनारायण मालाकार, गिगोली सरपंच घीसालाल माली, पार्षद लोकेश मालाकार, पार्षद सुखराम माली, एडवोकेट दिनेश चंद्र सैनी, पूर्व पार्षद प्रेम प्रकाश मालाकार, पवन दगदी, महेश चंद सैनी, शंकर लाल तुनवाल, नटवरलाल दगदी, मोनू तुनवाल, सुगन सांखला, महावीर क छावा, लालचंद दगदी, रमेश दगदी, मोतीराम तुनवाल आदि मौजूद रहे।

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001, Email rorpcb.nagaur@gmail.com
RPCB/RO NGR/PUB-27/306 Date 16.04.2025

पर्यावरणीय हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

[illegible]

(राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

CROSSWORD 5658

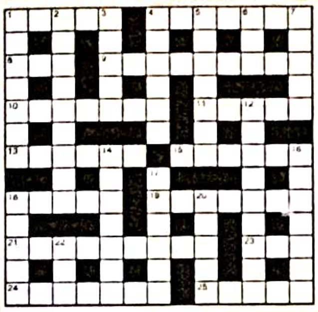

ACROSS
1 Sort of a stew left over? (5)
4 The silver is twice as celebrated as the golden one (7)
8 Drink and possibly eat (3)
9 Gives up an office from a basic date (9)
10 He should be fit to revise the tale (7)
11 Smooth plane (5)
13 One eats it as a matter of course (6)
15 Compiling a programme takes time and trouble (6)
18 Wrongly I am in some way extremely suspicious (5)
19 A revolution is starting (7)
21 Man to speak to for capital investment (9)
23 Champion of the pack (3)
24 Conscientious objection of little weight (7)
25 Row upon row of drawers? (5)

DOWN
1 The strength of the current? (7)
2 The revolutionary fork-lift? (9)
3 A way to get out of the Geneva Declaration (5)
4 Tries part of the Bible (6)
5 Combination lock in case it is left undone (7)
6 The whole or just part of a sale (3)
7 Kind of support a painter may need (5)
12 Point out to five how to make good (9)
14 Relaxed in the deep USA perhaps (5,2)
16 Sportsmen seen at the bank (7)
17 The people superior to me in the flower show (6)
18 Remains after a fiery departure (5)
20 Small picture I sent out (5)
22 Some manner of music (3)

Solutions Crossword 5657 Across: 1 Shortbread, 8 Islet, 9 Whistle, 10 Looks on, 11 Tudor, 12 Nettle, 14 Fences, 17 Rodin, 19 Utopian, 21 Counter, 22 Lakes, 23 Excise duty **Down:** 2 Hold out, 3 Rites, 4 Bowing, 5 Epistle, 6 Dated, 7 Represents, 8 Island race, 13 Lunatic, 15 Cricket, 16 Hubris, 18 Douse, 20 Ogled

OVER THE HEDGE by Michael Fry & T Lewis

CALVIN & HOBBES by Bill Watterson

MARVIN by Tom Armstrong

DAY TODAY

BY PETER VIDAL

ARIES (Mar 21 - Apr 20)
The Moon's relationship with your sign is a strong signal that you will have to take very great care with all partnership and matrimonial matters. Partners are unlikely to be fobbed off with excuses, so you could be put on the spot, at last.

TAURUS (Apr 21 - May 21)
You may well feel a little hurt or betrayed, but today's stars urge you to put the past behind you and get on with practical affairs. There is no point at all in raking over matters which are best left alone. Also, perhaps it's time to be kind and let someone else off the hook.

GEMINI (May 22 - June 21)
A lively Moon is a pleasant presence in your chart. By reducing your general level of irritability, it could make you much more sympathetic to others, increasingly able to charm partners, and hence that much more successful. With friends on your side, a number of obstacles will soon disappear.

CANCER (June 22 - July 23)
In a strange and somewhat perverse way, you are probably enjoying this period. Mars' movement through intense regions of your chart brings out your latent conservatism, your feeling that many things are best left as they are. And maybe that's no bad thing.

LEO (July 24 - Aug 23)
Take all due care and attention with financial matters, especially because if anyone is going to lose money or be over-charged, it's you! You should also take a practical attitude to social arrangements, and ignore the frankly impossible.

VIRGO (Aug 24 - Sep 23)
Mercury, your planetary ruler, is beginning to make its lively presence felt, and a chance remark or encounter could give you the lever you need to force new items on to the agenda at home and at work. First, you have to stand back and give someone some space to sort themselves out.

LIBRA (Sep 24 - Oct 23)
Sensitive planetary activity brings out your confidence. In particular, it makes you increasingly sure of your ideas, and it gives you the necessary poetic skill to express yourself to good effect. That alone has to make the future worth waiting for.

SCORPIO (Oct 24 - Nov 23)
Personal dynamics are increasingly complex, as you are only too well aware. Other people have only been able to put you down in the past because you have allowed them. Now it is definitely the right time to pay more attention to your own needs and aspirations and lead a full life.

SAGITTARIUS (Nov 24 - Dec 22)
The Moon is bound to get you thinking, and make you realise that physically, financially and emotionally, you need to redefine your centre of gravity. For now, all you should do is plan. Action can be left until later, even if sooner than you think.

CAPRICORN (Dec 23 - Jan 20)
The Sun and Mars are now in a relationship which signifies a great deal of intensity on your part. You also seem to be suffering from an attack of doubt or a lack of confidence. Get on with tasks until you succeed.

AQUARIUS (Jan 21 - Feb 19)
Your emotional situation is looking ever more buoyant, but everything revolves around the choices you allow yourself to take. At the heart of all your feelings is the question of commitment, and the need to decide whether to go, or to stay, or to dither.

PISCES (Feb 20 - Mar 20)
Today's lunar alignments may grant you a temporary reprieve from difficult personal choices, and you may find respite in dealing with business matters, or just in going out to search for bargains. One piece of advice though, be sure to get value for money.

JUMBLED WORDS

Given below are four jumbled words. Solve the jumbles to make proper words and move them to the respective squares below. Select the letters in the shaded squares and jumble them to get the answer for the given quip.

To marry is to get a ____ view of life. - Dean Inge (9)

MOLAR
HKOONU
RSWIL
AAANBC

Answer: To marry is to get a **binocular** view of life. - Dean Inge
Solution: MORAL, SWIRL, UNHOOK, CABANA

SUDOKU 5934

Difficulty Level 2s

Instructions
To solve a Sudoku puzzle, every digit from 1 to 9 must appear in each of the nine vertical columns, in each of the nine horizontal rows and in each of the nine boxes.

	3						2	
		1				8		
4	5		2		3		1	6
8		3	9		1	6		2
2		4	6		7	9		8
7	4		5		2		8	9
		2				3		
	8						4	

Difficulty Level
1s = Very easy; 2s = Easy; 3s = Medium; 4s = Hard; 5s = Very Hard; 6s = Genius

SOLUTION SUDOKU 5933

1	8	4	3	9	2	7	6	5
6	7	5	4	1	8	9	3	2
3	9	2	6	7	5	4	1	8
9	2	7	1	4	6	8	5	3
8	5	3	7	2	9	6	4	1
4	6	1	5	8	3	2	9	7
7	3	6	8	5	4	1	2	9
5	1	9	2	6	7	3	8	4
2	4	8	9	3	1	5	7	6

Mahila Arthik Vikas Mahamandal (MAVIM),
Government of Maharashtra Undertaking
Griha Nirman Bhawan (MHADA) Mezzanine Floor, Kalanagar, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

REQUEST FOR PROPOSAL

Ref No.: MAVIM/PMD/2024-25 **Date 24-04-2025**

Mahila Arthik Vikas Mahamandal (MAVIM) Invites Request for Proposal for **"Hiring a consultancy agency for Assessment of current policies, current budgets to identify gaps and opportunities to better mainstream gender and development of training modules and material c gender budgeting geared towards government officials"**

For detailed RFP document visit Website **https://www.devnetjobsindia.org**

Last Date & Time for submission **Till 23rd May 2025 by 3.00 pm**

Sd/-
Managing Director, MAVIM, Mumbai

SHRIRAM FINANCE LIMITED

Registered Office: Sri Tower, Plot No.-14-A, South Phase, Industrial Estate, Guindy, Chennai - 600032. Branch Office: Circuit House ke Piche, Near Dhanwantari Bhawan Railway Fatak, Nagaur, Raj 341001 Website: www.shriramfinance.in

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Whereas, the undersigned being the authorised officer of **Shriram Finance Limited (SFL)** under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (said Act) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (said Rules) issued demand notices to the Borrowers details of which are mentioned in the table below to repay the amount mentioned in the said demand notices.
The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules, on this **17/04/2025**

Borrower & CoBorrower/Guarantor Name and Address	Amount due as per Demand Notice	Description of Property
1) **M/S Shri Balaji Industries Pro. Devaram S/o Hardeen Ram,** Near Balaji Mandir, Kuchera Road, Gaaju, Nagaur 341025 Rajasthan And **Also At Devaram S/O Hardeen Ram, Mundelo Ka Bas, Dhamawas,** Nagaur 341025 Rajasthan **Devaram S/o Hardeen Ram,** Ward No.05 Khinwsar Dist Nagaur 341025 Rajasthan Borrower And **Also At** 2) **Devaram S/o Hardeen Ram,** Mundelo Ka Bas, Dhamawas, Nagaur 341025 Rajasthan Guarantor 3) **Parama W/o Devaram,** Mundelo Ka Bas, Dhamawas, Nagaur 341025 Rajasthan Parama W/O Devaram, Plot No. 14, Ward No.06 Khinwsar Dist Nagaur 341025 Rajasthan Guarantor 4) **Surendra Kumar S/o Deva Ram,** Mundelo Ka Bas, Dhamawas, Nagaur 341025 Rajasthan Guarantor	**To pay Rs. 47,01,490/- (In words Forty Seven Lakh One Thousand Four Hundred Ninety Only) under reference of Loan A/c No. NAGAUTF2 210110002 Demand Notice Dated 10/02/2025**	Property Of Devaram S/O Hardeen Ram. All That Khasra No. 2057/630 Size 20 x 50 = 1000 Sq. Ft. Situated At Ward No 05 Khinwsar Dist Nagaur 341025 Rajasthan And Bounded As Follows Towards East: plot Of Babulal Jat, Towards West: Plot Of Motaram Prajapat, Towards South: National Highway Road, Towards North: 20'0" Wide Road And Property Of Parama W/O Devaram. All That Khasra No. 5745/1289 Plot No. 14 Size 10 x 25 = 250 Sq. Ft. Situated At Ward No.05 Khinwsar Dist Nagaur 341025 Rajasthan And Bounded As Follows: Towards East: Plot No. 15 Of Smt. Gita, Towards West- Plot No. 13 Of Smt. Chuki, Towards South: Nagaur-Jodhpur Highway Road, Towards North: Plot Of sohanram Bendra

This notice is also hereby to caution the general public at large that the authorized officer of SFL is in the lawful Symbolic Possession of the immovable property mentioned herein above and the Borrowers or any person shall not after receipt of this notice transfer by way of sale, lease or otherwise deal with, alienate any of the above mentioned secured assets referred to in this notice, without prior written consent of SFL.

Date: 24.04.2025
Place: NAGAUR
Sd/- Authorised Officer, Shriram Finance Ltd

PROCLAMATION REQUIRING THE APPEARANCE OF ACCUSED PERSON

See Section 82 Cr.P.C.

Whereas complaint has been made before me that accused person **Mukesh** S/o Seetaram R/o Village Nirmera Ganehra, Ajmer, Rajasthan has committed (or is suspected to have committed) the offence case FIR No. 93/2024 u/s 380/457/411/34 IPC at P.S. Model Town, Delhi and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said **Mukesh** cannot be found and whereas it has been shown to my satisfaction that the said **Mukesh** has absconded (or is concealing himself to avoid the service of the said warrant). Proceeding u/s 82 Cr.P.C. has been initiated in the case. Proclamation is hereby made that the said **Mukesh** accused of FIR No. 93/2024 u/s 380/457/411/34 IPC at P.S. Model Town, Delhi is required to appear before this Court to answer the said complaint on **27.05.2025.**

By Order: Sh. Himanshu Sehloth,
Judicial Magistrate First Class-03 (North)
Court No. 213,
Rohini Courts, Delhi

DP/5096/NW/2025

REGIONAL OFFICE–Jodhpur (Rural)
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Present Address- Plot No. SPL-2, M.I.A. Phase-I, Basni, Jodhpur- 342005 (Raj.)
Email- rojodhpurrural@gmail.com

क्रमांक: [illegible] दिनांक: 22/04/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1. [illegible] M/s. Shri Sahadev Chemical and Allied Products [illegible] ML No. 19/1992 [illegible]
2. [illegible] M/s. Shri Sahadev Chemical and Allied Products [illegible]
3. [illegible] 14.09.2006 [illegible] 30 [illegible]
4. [illegible]

[illegible] 02.06.2025 [illegible] 30 [illegible]

(जगदीश चौधरी) क्षेत्रीय अधिकारी जोधपुर-ग्रामीण

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

दिनांक: 23/04/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. [illegible] RJ/24/SEAC3/MIN/TOR/0005 [illegible] 130 [illegible] 12) [illegible] 97.6116 [illegible] 266845.72 [illegible] 1294, 1404, 1402, 1595 [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

[illegible]

आज्ञा से- क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

दिनांक: 22/04/2025

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. [illegible] RJ/24/SEAC3/MIN/TOR/0010 [illegible] 131 [illegible] 13) [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

[illegible]

आज्ञा से- क्षेत्रीय अधिकारी

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED
Registered & Corporate Office :- 502, Tower-A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013
Circle Office :- 9-B, 2nd floor, Pusa Road, Rajinder Place, New Delhi-110060

APPENDIX- IV-A [See proviso to rule 8 (6) and 9 (1)]
Sale notice for sale of immovable properties

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) and 9 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Constructive/physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Capri Global Capital Limited Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on dates below mentioned, for recovery of amount mentioned below due to the Capri Global Capital Limited Secured Creditor from Borrower mentioned below. The reserve price, EMD amount and property details mentioned below.

SR. NO.	1. BORROWER(S) NAME 2. OUTSTANDING AMOUNT	DESCRIPTION OF THE MORTGAGED PROPERTY	1. DATE & TIME OF E-AUCTION 2. LAST DATE OF SUBMISSION OF EMD 3. DATE & TIME OF THE PROPERTY INSPECTION	1. RESERVE PRICE 2. EMD OF THE PROPERTY 3. INCREMENTAL VALUE
1.	**1. Mr. Koushal Kishor Suman ("Borrower") 2. Mrs. Krishna Kumari 3. Mr. Hari Om 4. M/s. Krishna The Family Restaurant (Co-borrower) LOAN ACCOUNT No. LNMEKOT000140065 (Old) / 80300005735033 (New) Rupees 54,95,854/- (Rupees Fifty Four Lacs Ninety Five Thousand Eight Hundred Fifty Four Only) as on 17.04.2025 along withapplicable future interest.**	All that piece and parcel of property having land and Building bearing Plot at Khata No. 148 (New) / 52 (old), Khasra No. 332/2 (Area 0.1000 Hectare), 333 (Area 0.0600 Hectare) & 336 (Area 0.1100 Hecrate), total land area admeasuring 0.2700 Hecrate, i.e., 29052 Sq. Ft., Bhen Ji Ki Gali, Gram Tekhda, Patwari Halka Deoli Arab, Tehsil Ladpura, Distt. Kota, Rajasthan - 324003 Bounded as follows: East By: Khasra No. 332/1, 333/1, 335, West By: Khasra No. 338, North By: Road, South By: Road	**1. E-AUCTION DATE: 28.05.2025 (Between 3:00 P.M. to 4:00 P.M.) 2. LAST DATE OF SUBMISSION OF EMD WITH KYC: 27.05.2025 3. DATE OF INSPECTION: 26.05.2025**	**RESERVE PRICE: Rs. 1,10,00,000/- (Rupees One Crore Ten Lacs Only). EARNEST MONEY DEPOSIT: Rs. 11,00,000/- (Rupees Eleven Lacs Only) INCREMENTAL VALUE: Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only).**

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Capri Global Capital Limited Secured Creditor's website i.e. www.Caprigloba.in/auction/

TERMS & CONDITIONS OF ONLINE E-AUCTION SALE:

1. The Property is being sold on "AS IS WHERE IS, WHATEVER THERE & WITHOUT RECOURSE BASIS". As such sale is without any kind of warranties & indemnities.
2. Particulars of the property / assts (viz. extent & measurements specified in the E-Auction Sale Notice has been stated to the best of information of the Secured Creditor and Secured Creditor shall not be answerable for any error, misstatement or omission. Actual extant & dimensions may differ.
3. E-Auction Sale Notice issued by the Secured Creditor is an invitation to the general public to submit their bids and the same does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or nay representation on the part of the Secured Creditor. Interested bidders are advised to peruse the copies of title deeds with the Secured Creditor and to conduct own independent enquiries /due diligence about the title & present condition of the property / assets and claims / dues affecting the property before submission of bid/s.
4. Auction/bidding shall only be through "online electronic mode" through the website https://sarfaesi.auctiontiger.net Or Auction Tiger Mobile APP provided by the service provider M/S. eProcurement Technologies Limited, Ahmedabad who shall arrange & coordinate the entire process of auction through the e-auction platform.
5. The bidders may participate in e-auction for bidding from their place of choice. Internet connectivity shall have to be ensured by bidder himself. Secured Creditor /service provider shall not be held responsible for the internet connectivity, network problems, system crash own, power failure etc.
6. For details, help, procedure and online bidding on e-auction prospective bidders may contact the Service Provider **M/S E-Procurement Technologies Ltd. Auction Tiger, Ahmedabad (Contact no. 079-68136880/68136837), Mr Ramprasad Sharma Mob. 800-002-3297/79-6120 0559. Email: ramprasad@auctiontiger.net.**
7. For participating in the e-auction sale the intending bidders should register their name at **https://sarfaesi.auctiontiger.net** well in advance and shall get the user id and password. Intending bidders are advised to change only the password immediately upon receiving it from the service provider.
8. For participating in e-auction, intending bidders have to deposit a refundable EMD of 10% OF RESERVE PRICE (as mentioned above) shall be payable by interested bidders through Demand Draft/NEFT/RTGS in favor of **"Capri Global Capital Limited" on or before 27-May-2025.**
9. The intending bidders should submit the duly filled in Bid Form (format available on https://sarfaesi.auctiontiger.net) along with the Demand Draft remittance towards EMD in a sealed cover addressed to the Authorized Officer, Capri Global Capital Limited **Regional Office, Plot No 13, 2nd floor, Pratap Nagar, Khatipura Road, Jaipur latest by 03.00 PM on 27-May-2025.** The sealed cover should be super scribed with "Bid for participating in E-Auction Sale- - in the Loan Account No. __________ (as mentioned above) for property of "Borrower Name".
10. After expiry of the last date of submission of bids with EMD, Authorised Officer shall examine the bids received by him and confirm the details of the qualified bidders (who have quoted their bids over and above the reserve price and paid the specified EMD with the Secured Creditor) to the service provider M/S eProcurement Technologies Limited to enable them to allow only those bidders to participate in the online inter-se bidding /auction proceedings at the date and time mentioned in E-Auction Sale Notice.
11. Inter-se bidding among the qualified bidders shall start from the highest bid quoted by the qualified bidders. During the process of inter-se bidding, there will be unlimited extension of "10" minutes each, i.e. the end time of e- auction shall be automatically extended by 10 Minutes each time if bid is made within 10 minutes from the last extension.
12. Bids once made shall not be cancelled or withdrawn. All bids made from the user id given to bidder will be deemed to have been made by him alone.
13. Immediately upon closure of E-Auction proceedings, the highest bidder shall confirm the final amount of bid quoted by him BY E-Mail both to the Authorised Officer, Capri Global Capital Limited, **Regional Office Office/ Plot No 13, 2nd floor, Pratap Nagar, Khatipura Road, Jaipur** and the Service Provider for getting declared as successful bidder in the E-Auction Sale proceedings.
14. The successful bidder shall deposit 25% of the bid amount (including EMD) within 24 hour of the sale, being knocked down in his favour and balance 75% of bid amount within 15 days from the date of sale by DD/Pay order/NEFT/RTGS/Chq favouring Capri Global Capital Limited.
15. In case of default in payment of above stipulated amounts by the successful bidder / auction purchaser within the stipulated time, the sale will be cancelled and the amount already paid (including EMD) will be forfeited and the property will be again put to sale.
16. At the request of the successful bidder, the Authorised Officer in his absolute discretion may grant further time in writing, for depositing the balance of the bid amount.
17. The Successful Bidder shall pay 1% of Sale price towards TDS (out of Sale proceeds) (if applicable) and submit TDS certificate to the Authorised officer and the deposit the entire amount of sale price (after deduction of 1% towards TDS), adjusting the EMD within 15 working days of the acceptance of the offer by the authorized officer, or within such other extended time as deemed fit by the Authorised Officer, failing which the earnest deposit will be forfeited.
18. Municipal / Panchayat Taxes, Electricity dues (if any) and any other authorities dues (if any) has to be paid by the successful bidder before issuance of the sale certificate. Bids shall be made taking into consideration of all the statutory dues pertaining to the property.
19. Sale Certificate will be issued by the Authorised Officer in favour of the successful bidder only upon deposit of entire purchase price / bid amount and furnishing the necessary proof in respect of payment of all taxes / charges.
20. Applicable legal charges for conveyance, stamp duty, registration charges and other incidental charges shall be borne by the auction purchaser.
21. The Authorized officer may postpone / cancel the E-Auction Sale proceedings without assigning any reason whatsoever. In case the E-Auction Sale scheduled is postponed to a later date before 30 days from the scheduled date of sale, it will be displayed on the website of the service provider.
22. The decision of the Authorised Officer is final, binding and unquestionable.
23. All bidders who submitted the bids, shall be deemed to have read and understood the terms and conditions of the E-Auction Sale and be bound by them.
24. Movable item (if any) is lying in the property is not offered with this sale.
25. **For further details and queries, contact Authorised Officer, Capri Global Capital Limited: Mr. Jitender Singh Mobile No. 9983291777 and for further inquiry Ms. Kalpana Chetanwala-7738039346.**
26. This publication is also 30 (Thirty) days notice to the Borrower / Mortgagor / Guarantors of the above said loan account pursuant to rule 8(6) and 9 (1) of Security Interest (Enforcement) Rules 2002, about holding of auction sale on the above mentioned date / place.

Special Instructions / Caution: Bidding in the last minutes/seconds should be avoided by the bidders in their own interest. Neither Capri Global Capital Limited nor the Service Provider will be responsible for any lapses/failure (Internet failure, Power failure, etc.) on the part of the bidder in such cases. In order to ward off such contingent situation, bidders are requested to make all the necessary arrangements / alternatives such as back-up power supply and whatever else required so that they are able to circumvent such situation and are able to participate in the auction successfully.

Place : RAJASTHAN Date : 24-APRIL-2025 **Sd/- (Authorised Officer) Capri Global Capital Ltd.**

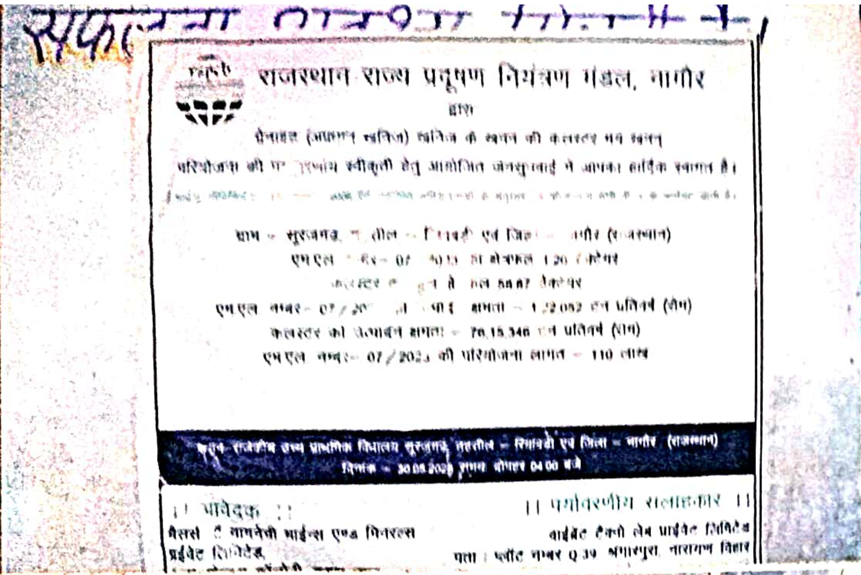
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर
द्वारा
एम.एल. नम्बर– 07/2023 की परियोजना लागत – 110 लाख
दिनांक – 30.08.2023 समय दोपहर 04.00 बजे
।। आवेदक ।।
।। पर्यावरणीय सलाहकार ।।

साहसी मनुष्य का साथ देता है

साहसी मनुष्य का साथ देता है।

साहसी मनुष्य का साथ देता है

साहसी मनुष्य का साथ देता है।

विनाश के समय मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है

मनुष्य का साथ देता है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर